

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974
[उ० प्र० अधिनियम संख्या 3, 1975]

**The Uttar Pradesh Education Institutions (Prevention
of Dissipation of Assets) Act, 1974**
[U. P. Act No. 3 of 1975]

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974:

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 3, 1975]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7 अगस्त, 1974 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अगस्त, 1974 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 17 फरवरी, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 मार्च, 1975 ई० को प्रकाशित हुआ।]

शैक्षिक संस्थाओं की आस्तियों के अपव्यय को निवारित करने के अध्यापकों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य का पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का विस्तार निवारण) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

संक्षिप्त नाम तथा

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2— जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :-

परिभाषाएं

(क) ‘निदेशक’ का तात्पर्य, यथास्थिति, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) से है और इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अपर शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, उपशिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक या संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका भी है;

(ख) ‘संस्था’ या ‘शैक्षिक संस्था’ का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उपाधि महाविद्यालय या स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी संस्था नहीं है, जिसका पोषण केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो;

(ग) किसी संस्था के संबंध में, ‘प्रबन्धतंत्र’ का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय या व्यक्ति से है, जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार दिया गया हो;

(घ) किसी संस्था के संबंध में, ‘संपत्ति’ के अन्तर्गत संस्था की अथवा पूर्णतः या अनन्य रूप से संस्था के लाभार्थ विन्यासित सभी स्थावर संपत्तियां भी है, जिसके अन्तर्गत ऐसी भूमि, भवन और ऐसी संपत्ति से, जो प्रबन्धतंत्र के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में हो, उद्भूत होने वाले सभी अन्य प्रकार और हित भी है।

3— प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतंत्र निदेशक को प्रथमतः इस अधिनियम के प्रारम्भ होने प्रस्तुत

संपत्ति की तालिका

के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर और तदुपरान्त प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक संस्था को अथवा उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित समस्त संपत्तियों की तालिका, जिसके साथ ऐसी विशिष्टियां होंगी, जिन्हें निदेशक आवश्यक समझे, उसके द्वारा विहित प्रथम प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा।

करना

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए उत्तर प्रदेश असाधारण गजट दिनांक 23 जुलाई, 1974 देखें।

{उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974}
4-5}

{धारा

4— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा, जो शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप न हो अथवा इतना अधिक हो कि उसकी आय से अननुपातिक हो अथवा किसी अन्य कारण से ऐसा हो, जिसे कोई भी प्रज्ञावान प्रबन्धतंत्र संस्था के हित में व्यय करना उचित न समझे और जो इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत न हो।

अपव्यय का निवारण

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रबन्धतंत्र को कोई विनिर्दिष्ट व्यय या किसी विनिर्दिष्ट मद पर व्यय अथवा किसी विनिर्दिष्ट मद पर विनिर्दिष्ट सीमा के बाहर अथवा सिवाय विनिर्दिष्ट शर्तों तथा निर्बन्धनों के अनुसार, व्यय करने से, प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) (क) जहां प्रबन्धतंत्र की यह राय हो कि कतिपय व्यय आवश्यक या समीचीन है किन्तु व्यय का प्रकार या उसकी धनराशि उसकी आय से आननुपातिक है तो प्रबन्धतंत्र निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना वह व्यय नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण— किसी मद के संबंध में किसी ऐसे व्यय के लिए, जो इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 अथवा इन अधिनियमितियों के अधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम या उपविधि या किसी परिनियम या अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के या निदेशक के किसी आदेश के अधीन अथवा न्यायालय की किसी डिक्री के अधीन, प्राधिकृत हो, यदि वह नियमों, आदर्शों या सिद्धान्तों के अनुसार अथवा उपयुक्त अधिनियमिति, नियम, विनियम, उपविधि, परिनियम, अध्यादेश, आदेश या डिक्री द्वारा या उसके अधीन विहित परिसीमाओं के भीतर हो तो इस उपधारा के अधीन निदेशक की स्वीकृति अपेक्षित न होगी।

(ख) प्रबन्धतंत्र कोई ऐसा व्यय नहीं करेगा, जो उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध हो।

(4) (क) निदेशक, उपधारा (2) के अधीन आदेश के विरुद्ध उसे अभ्यावेदन दिये जाने पर अथवा उपधारा (3) के अधीन स्वीकृति के लिए उसे आवेदन दिए जाने पर और ऐसे विषयों तथा सूचना पर, जिसे वह आवश्यक समझे, विचार करने पर शीघ्र अपना आदेश देगा;

(ख) यदि निदेशक, अभ्यावेदन या आवेदन और उसके द्वारा इस निमित्त अपेक्षित अन्य दस्तावेजों या सूचना की प्राप्ति के दिनांक से आठ सप्ताह के भीतर अपना आदेश नहीं देता तो यह समझा जायेगा कि उसने प्रबन्धतंत्र द्वारा किये जाने वाले प्रस्थापित व्यय के बारे में अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) निदेशक, अभ्यावेदन या आवेदन को पूर्णतः या अंशतः मंजूर या नामंजूर कर सकेगा।

(5) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (4) के अधीन निदेशक के आदेश से क्षुब्ध हो तो वह आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

5— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संपत्ति के लिए

सम्पत्ति के अन्तरण

का, जो शैक्षिक संस्था की हो या उसके प्रयोजनार्थ विन्यासित हो, अन्तरण तब तक विधिमान्य आवश्यक न होगा, जब तक कि निदेशक की लिखित पूर्व स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त न कर ली जाय कि उक्त अन्तरण संस्था के हित में आवश्यक या लाभप्रद या समीचीन है।

पूर्वानुमोदन का

होना

{उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974}
6-8}

{धारा

(2) प्रबन्धतंत्र यदि वह निदेशक के उपधारा (1) के अधीन स्वीकृति नामंजूर करने के आदेश से व्यथित हो तो उस आदेश के विरुद्ध अपील, उसके संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश को, जिसकी अधिकारिता के भीतर उक्त संस्था या सम्बद्ध संपत्ति हो, कर सकेगा और अपील पर जिला न्यायाधीश का आदेश अन्तिम होगा।

6— धारा 4 की उपधारा (4) या धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जाँच के शक्तियाँ

निदेशक की

प्रयोजनार्थ निदेशक की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) स्वयं या ऐसी सहायता से, जिसे वह उचित समझे, किसी शैक्षिक संस्था के भू-गृहादि में प्रवेश करना;

(ख) स्वयं या ऐसी सहायता से जिसे वह उचित समझे, शैक्षिक संस्था की समस्त सम्पत्ति का तथा उससे संबंधित सभी अभिलेखों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण करना;

(ग) ऐसे समय और स्थान पर ऐसे प्रपत्र में, जैसा वह निदेश दे, संस्था की निधियों, संपत्ति या आय से संबंधित कोई भी रिपोर्ट, विवरण, लेखा या अन्य सूचना माँगना;

(घ) संस्था की संपत्ति के संरक्षण के लिए उपाय करना अथवा प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो, उपाय करने के लिए निदेश देना; और

(ङ) प्रबन्धतंत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो, संस्था की खोयी हुई किसी संपत्ति की वापसी के उपाय करने के लिए निदेश देना।

7— यदि किसी शैक्षिक संस्था के प्रबन्धतंत्र का कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी ऐसी संस्था के प्रशासन का प्रभारी हो या उससे संबंध रखता हो —

शास्ति

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों का या तदधीन जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों का अनुपालन करने से इन्कार करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा अथवा इस अधिनियम के अधीन की गयी किन्हीं कार्यवाहियों में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित किन्हीं रिपोर्टों, विवरणों, लेखाओं या अन्य सूचना प्रस्तुत करने से इन्कार करेगा, उसकी अपेक्षा करेगा या उसमें असफल रहेगा,

तो ऐसा सदस्य या अन्य व्यक्ति कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

8— (1) इस अधिनियम के तदधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक अधीन

इस अधिनियम के

किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कार्यवाही के

की गयी

सेवक किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों में दायी नहीं होगा।

लिये संरक्षण

(2) इस अधिनियम के तदधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण किसी ऐसे नुकसान के लिए, जो हुआ हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए, जो हुई हो अथवा जिसके होने की संभावना हो, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी।

THE UTTAR PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTIONS (PREVENTION OF DISSIPATION OF ASSETS) ACT, 1974

[U. P. ACT NO. 3 OF 1975]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 7, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 14, 1974.]

Received the assent of the President on February 17, 1975 under Article 201 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated March 3, 1975.]

A
N

A C T

to provide for measures to prevent the dissipation of the assets of educational institutions

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and (Prevention extent) 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Educational Institutions of Dissipation of Assets) Act, 1974.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions 2. In this Act, unless the context otherwise requires :-

(a) 'director' means the Director of Education (Higher Education) or the Director of Education (Secondary Education), as the case may be, and includes an Additional Director of Education, Joint Director of Education, Deputy Director of Education, District Inspector of Schools or a Regional Inspectors of Girls Schools, authorized by the Director in this behalf;

(b) 'institution' or 'educational institution' means an institution recognized by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or a degree college or a post-graduate college affiliated to or recognized by a University established by or under an Uttar Pradesh Act, but does not include an institution which is maintained by the Central Government, the State Government or a local authority;

(c) 'management' in relation to an institution, means the managing committee or other body or person charged with managing the affairs of that institution;

(d) 'property' in relation to an institution, includes all immovable properties belonging to or endowed wholly or purely for the benefit of the institution, including lands, buildings and all other rights and interests arising out of such property as may be in the ownership, possession, power or control of the Management.

Submission of inventory of property 3. The Management of every institution shall furnish to the Director initially, within a period of three months from the date of commencement of this Act, and thereafter annually by 30th day of September, an inventory of all properties belonging to or endowed for purposes of the institution together with such particulars as may be considered necessary by the Director in the form prescribed by him.

[The Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974] [Section 4-5]

Prevention of the Dissipation 4. (1) Notwithstanding, anything in any other law for the time being in force, management shall not incur any expenditure which is not in conformity with the aims and objects of the educational institution or is so excessive as to be disproportionate to the income thereof or is, for any other reasons, such as no prudent management would deem fit to incur in the interest of the institution, and which is not sanctioned under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of provisions of sub-section (1), the Director may by general or special order prohibit the management from incurring any specified expenditure or expenditure on any specified Item

or any expenditure beyond a specified limit or except in accordance with specified conditions and restrictions on any specified item.

- (3) (a) Where the management is of opinion that certain expenditure is necessary or expedient but the nature or amount of the expenditure is disproportionate to its income, the management shall not incur it without the prior sanction in writing of the Director.

Explanation-- Any expenditure in respect of any item which is authorized by or under the Intermediate Education Act, 1921, the Uttar Pradesh High Schools and Intermediate College (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1971, the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, or any rule, regulation or bye-law or any Statute or Ordinance made under any of these enactments or under any order of the State Government or of the Director or under any decree of a court, if it is in accordance with the rules, norms or principles or within the limits prescribed by or under the aforesaid enactment, rule, regulation, bye-law, Statute, Ordinance, order or decree shall not require the sanction of the Director under this sub-section.

- (b) The management shall not incur any expenditure which is prohibited under sub-section (2).

- (4) (a) The Director shall, upon a representation being made to him against an order under sub-section (2) or upon an application for sanction being made to him under sub-section (3), and upon consideration of such matters and information as he may consider necessary, give his orders expeditiously.

(b) On failure of the Director to pass his order within eight weeks from the date of receipt of the representation or application and of such other documents or information as may be required by him in that behalf, his sanction to the expenditure proposed to be incurred by the management shall be deemed to have been granted.

- (c) The Director may allow or refuse the representation or application in whole or in part.

- (5) If the management be aggrieved against an order of the Director under sub-section (4) it may prefer an appeal to the State Government within thirty days from the date of communication of the order, and the decision of the State Government thereon shall be final.

Previous
approval
necessary for
transfer of
property

5. (1) Notwithstanding anything in any other law for the time being in force, no transfer of property belonging to or endowed for purposes of an educational institution shall be valid unless prior written sanction of the Director, on the ground of the transfer being necessary or beneficial to or expedient in the interest of the institution, has been obtained.

[The Uttar Pradesh Educational Institutions (Prevention of Dissipation of Assets) Act, 1974] [Section 6-8]

- (2) The management, if aggrieved by an order of the Director refusing sanction under sub-section (1), may within thirty days from the date of communication thereof to it appeal against that order to the District Judge within whose jurisdiction the said institution or the property concerned lies, and the order of the District Judge in appeal shall be final.

Powers of	6. For the purposes of an inquiry under sub-section (4) of section 4 or sub-Director section (1) of section 5, the Director shall have the following powers, namely:-
-	(a) by himself or with such assistance as he may deem fit to enter the premises of any educational institution ; (b) by himself or with such assistance as he may deem fit, to inspect all property belonging to, and all records and documents relating to the educational institutions; (c) to call for any reports, statements, accounts or other information relating to the funds, property or income of the institution at such time and place and in such form as he may direct; (d) to take or direct the management or any other person in charge of or having concern with the administration of the institution to take measures for the, protection of the property of the institution; and (e) to direct the management or any other person in charge of or having concern with the administration of the institution to take measures for the recovery of any property lost to the institution.
Penalty	7. If any member of the management of any educational institution or any other person in-charge of or having concern with the administration of any such institution:- (a) refuses, neglects or fails to comply with the provisions of this Act, or the orders and directions issued thereunder or obstructs any proceedings taken under this Act ; or (b) refuses, neglects or fails to furnish any reports, statements, accounts or other information called for under this Act, such member or other person shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine or with both.
Protection of or action taken under this Act	8. (1) No officer or servant of the State Government shall be liable in any civil criminal proceedings in respect of any act done or purporting to be done in good faith in pursuance of this Act or any order made thereunder. (2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any order made thereunder.

-----**-----